निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1941 (श0)
(सं0 पटना 1358) पटना, वृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
26 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 404, दिनांक 26 दिसम्बर 2019--बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है,जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर मे भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक,को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-3901)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 404, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–7)–3901)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 26th December 2019

S.O. 404, dated the 26 december 2019-- In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR)code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)3901)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1358-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: **http://egazette.bih.nic.in**